

सी.जी.-डी.एल.-सा.-17032022-234280 CG-DL-W-17032022-234280

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 10]

नई दिल्ली, मार्च 6— मार्च 12, 2022, शनिवार/ फाल्गुन 15— फाल्गुन 21, 1943

No. 10]

NEW DELHI, MARCH 6-MARCH 12, 2022, SATURDAY/PHALGUNA 15-PHALGUNA 21, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2022

का.आ. 252.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को उक्त सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के स्थान पर कालम (1) में विनिर्दिष्ट बैंकों में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश होने तक, निदेशक नामित करती है:

क्र. सं.	बैंक का नाम	वर्तमान निदेशक का नाम (2)	प्रस्तावित व्यक्ति का नाम	
	(1)		(3)	
1.	पंजाब नैशनल बैंक	श्री विवेक अग्रवाल	श्री अनिल कुमार मिश्रा (जन्म तिथि: 21.7.1958)	
2.			श्री विवेक अग्रवाल (जन्म तिथि: 7.8.1963)	

[ई फा. सं. 6/3/2011-बीओ-I] संजय कुमार मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 25th February, 2022

S.O. 252.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates the persons specified in column (3) of the table below as Director on the Board of the Banks specified in column (1) thereof, in place of the persons specified in column (2) of the said table, with immediate effect and until further orders:-

	(1)	(2)	(3)
1.	Punjab National Bank	Shri Vivek Aggarwal	Shri Anil Kumar Misra (date of birth: 21.7.1958)
2.	Indian Overseas Bank	Shri Deepak Kumar	Shri Vivek Aggarwal (date of birth: 7.8.1963)

[eF. No. 6/3/2011-BO-I] SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2022

का.आ. 253.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 9 के उप-पैरा (2) के खंड (ख) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, डॉ. हसमुख अद्विया (जन्म तिथि: 3.11.1958) को बैंक आफ बड़ौदा के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुन: नामित करती है और उक्त बोर्ड में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति की अविध को दिनांक 1.3.2022 से दो वर्ष की अविध के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

[फा. सं. 4/1/2019-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, निदेशक

New Delhi, the 28th February, 2022

S.O. 253.—In exercise of powers conferred by clause (h) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with clause (b) of sub-paragraph (2) of paragraph 9 the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby re-nominates Dr Hasmukh Adhia (DoB: 3.11.1958) as part-time non-official Director on the Board of Bank of Baroda and extends his period of appointment as non-executive Chairman on the said Board for a further period of two years with effect from 1.3.2022, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/1/2019-BO-I]

S. R. MEHAR, Director

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2022

का.आ. 254.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को उक्त सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के स्थान पर कालम (1) में विनिर्दिष्ट बैंकों के बोर्ड में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश होने तक, निदेशक नामित करती है:

क्र. सं.	बैंक का नाम	वर्तमान निदेशक का नाम	प्रस्तावित व्यक्ति का नाम
	(1)	(2)	(3)
1.	इंडियन बैंक	श्री एस. के. पाणीग्रही	डॉ आदित्य गैहा (जन्म तिथि: 4.1.1973)
2.	यूको बैंक	डॉ. तुली रॉय	श्री राजेश कुमार (जन्म तिथि: 26.9.1965)

[ईफा. सं. 6/3/2011 बीओ-I-पार्ट (1)] संजय कमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 8th March, 2022

S.O. 254.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates the persons specified in column (3) of the table below as Director on the Board of the Banks specified in column (1) thereof, in place of the persons specified in column (2) of the said table, with immediate effect and until further orders:-

	(1)	(2)	(3)
1.	Indian Bank	Shri S. K. Panigrahy	Dr Aditya Gaiha (date of birth: 4.1.1973)
2.	UCO Bank	Dr Tuli Roy	Shri Rajesh Kumar (date of birth: 26.9.1965)

[eF. No. 6/3/2011-BO-I-Part (1)

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.